गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश •

GIDA Website : www.gidagkp.in
(PROMOTER REG. NO. UPRERAPRM278897)

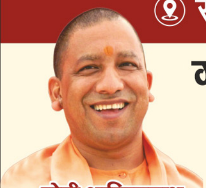

योगी आदित्यनाथ
मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र.

गीडा, गोरखपुर में 194 भूखण्डों को प्राप्त करने का
स्वर्णिम अवसर
(आवासीय एवं औद्योगिक भूखण्ड)

नन्दगोपाल गुप्ता 'नन्दी'
मा. औद्योगिक विकास मंत्री, उ.प्र.

ऑनलाइन पंजीयन की प्रारम्भ तिथि : 29.10.2025 | अन्तिम तिथि: 18.11.2025

गीडा सेक्टर –11 आवासीय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध भूखण्डों का विवरण

(RERA PROJECT REGISTRATION NO. UPRERAPRJ281199/09/2024)
(PROJECT COLLECTION A/C NO. 230605500264, IFSC-ICIC0003201)

क्र. सं.	भूखण्डों की श्रेणी	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूखण्डों की संख्या	दर प्रति वर्ग मी. (रु.में)	पंजीकरण धनराशि (रु.में)
1	ए	300	05	33,500	10,05,000
2	बी	250	15	33,500	8,37,500
3	सी	200	11	33,500	6,70,000
4	डी	180	02	32,500	5,85,000
		योग	33		

विशेष आकर्षण

- राष्ट्रीय राजमार्ग गोरखपुर–लखनऊ एवं कुशीनगर–सोनौली के जंक्शन प्वांइट पर स्थित।
- गोरखपुर पूर्वांचल लिंक–एक्सप्रेस वे से मात्र 3 किमी. की दूरी पर।
- प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान से नजदीकी दूरी पर।
- महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट व गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 16 किमी. पर।
- गोरखपुर के दक्षिणांचल में नव विकसित औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर।
- रेल, रोड एवं बाजार से जुड़ा एवं अवस्थापना सुविधाओं से विकसित क्षेत्र।

गीडा सेक्टर–23 आवासीय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध भूखण्डों का विवरण

क्र. सं.	भूखण्डों की श्रेणी	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूखण्डों की संख्या	दर प्रति वर्ग मी. (रु.में)	पंजीकरण धनराशि (रु.में)
1	ए	240-288	2	23,700	6,82,560

औद्योगिक भूखण्डों का विवरण

क्र. सं.	भूखण्डों का आकार	भूखण्डों की संख्या				सेक्टर 27	सेक्टर – 28		धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर – एस–5	भूखण्डों की कुल संख्या
		सेक्टर 13 सामान्य	सेक्टर 15 सामान्य	सेक्टर – 26 सामान्य	सेक्टर – 26 गारमेन्ट पार्क (रेडीमेड गारमेन्ट से सम्बन्धित इकाईयों हेतु)	सामान्य	सामान्य	प्लास्टिक पार्क (प्लास्टिक सम्बन्धित इकाईयों हेतु)		
1	0 से 1000 वर्ग मीटर तक	17	0	0	37	0	0	0	0	54
2	1001 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	40	07	5	1	4	7	23	0	87
3	4001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	2	0	3	1	4	3	3	0	16
4	20001 वर्ग मीटर से अधिक	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	कुल योग									159

आवेदन के नियम

- भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में विस्तृत नियम व शर्तें तथा भूमि की दरें गीडा की वेबसाइट *www.gidagkp.in* में उपलब्ध *e-brochure* से देखी जा सकती हैं।
- आवासीय योजना से सम्बन्धित ऑन–लाईन आवेदन वेबसाईट *https://pms.gidaerp.in/Login.aspx* के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। आवासीय भूखण्डों का आवंटन ई–लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
- औद्योगिक भूखण्डों हेतु ऑनलाइन आवेदन वेबसाईट *https://niveshmitra.up.nic.in* पर रजिस्टर करने के उपरान्त किया जाना होगा।
- आवासीय भूखण्डों की ई–लाटरी एवं औद्योगिक भूखण्डों का साक्षात्कार दिनांक **25.11.2025** को गीडा कार्यालय में सम्पन्न होगा।
- आवंटन के पूर्व या पश्चात किसी नियम व आवंटन प्रक्रिया में परिवर्तन या पूरी आवंटन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित है।
- पंजीकरण एवं सम्बन्धित प्रक्रिया की जानकारी हेतु संपर्क करें – मो.नं.: **9580509234, 9151803984, 9151804004**

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा, गोरखपुर

REQUIRED DOCUMENTS FOR ONLINE APPLICATION IN RESIDENTIAL SCHEMES GIDA

- CANDIDATE PHOTO
- ID PROOF (AADHAR CARD, VOTER ID, DRIVING LICENSE, PASSPORT)
- PAN CARD
- AFFIDAVIT (FORMAT PROVIDED ON SITE)
- RESERVATION CERTIFICATE OF APPLICANT (IF APPLICABLE)
- YEARLY INCOME CERTIFICATE (NON MANDATORY)

GIDA

GORAKHPUR INDUSTRIAL
DEVELOPMENT AUTHORITY

आवासीय योजना

(सेक्टर– 11 एवं 23) अवशेष भूखण्ड

विवरण पुस्तिका

1 संक्षिप्त परिचय :–

- आवासीय योजना सेक्टर–11 एवं सेक्टर–23 के अन्तर्गत अवशेष भूखण्डों का आवंटन किया जा रहा है।
- आवासीय भूखण्डों के आवंटन से स्थानीय निवासीयों को आवास हेतु भूखण्ड प्राप्त हो सकेगें।
- योजना में सभी मूलभूत सुविधाओं यथा–सड़क, नाली, पार्क, पुलियां, आन्तरिक विद्युतीकरण इत्यादि का विकास किया गया/किया जा रहा है।

2–भूखण्डों का विवरण :–

सेक्टर–23 में आवंटन हेतु प्रस्तावित भूखंडो का विवरण

क0 सं0	भूखण्डों के श्रेणी	भूखण्डो का क्षेत्रफल (वर्गमी0)	भूखण्डों की सं0	दर प्रति वर्गमी0 (रू0में)	पंजीयन धनराशि रूपये में
1	ए	240–288.00	2	23,700	6,82,560/–
	योग		2		

सेक्टर–11 में आवंटन हेतु प्रस्तावित भूखंडो का विवरण

क0 सं0	भूखण्डों के श्रेणी	भूखण्डो का क्षेत्रफल (वर्गमी0)	भूखण्डों की सं0	दर प्रति वर्गमी0 (रू0में)	पंजीयन धनराशि रूपये में
1	ए	300.00	05	33,500/–	10,05,000/–
2	बी	250.00	15	33,500/–	8,37,500/–
3	सी	200.00	11	33,500/–	6,70,000/–
4.	डी	180.00	02	32500/–	5,85,000/–
	योग		33		

नोट :1– यदि भूखण्ड पार्क सम्मुख स्थिति है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाएगा।

2– यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्ग पर स्थिति है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाएगा।

3– यदि भूखण्ड पार्क सम्मुख एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्ग पर स्थिति है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाएगा।

3. आरक्षण :–

क्र0 सं0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21 %	उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होंगी। पंजीकरण आवेदनपत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी /उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जन जाति	02 %	तदैव
3	अन्य पिछडा वर्ग	27 %	तदैव

आवास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–4982/9–आ–1–99–79 बैठक/99 दिनॉक 17.12.1999 के क्रम में उपरोक्तानुसार आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

अवशेष 50 % भूखंड सामान्य श्रेणी के आवेदको को आवंटित किये जायेगें ।

उपर्युक्त आरक्षित श्रेणी के अतंर्गत ही प्रत्येक श्रेणी में निम्न विवरणानुसार आरक्षण प्रदान किया जायेगा :–

क्र0 सं0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	सूचनात्मक टिप्पणी
4	मा0सांसद/मा0विधायक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	05 %	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/ अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी, जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो	05 %	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	समाज के दिव्यांगजन	03 %	दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत होने का प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो।
7	वरिष्ठ नागरिक (आवदेन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण होने के आधार पर)	05 %	हाई स्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र/ पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
8	गीडा के कर्मचारी हेतु	02 %	कर्मचारी गीडा प्राधिकरण में कार्यरत हो।
9	गीडा के औद्योगिक योजना के आवंटी	20 %	ऐसे आवंटी, जिन्होंने आवंटन नियमों के अन्तर्गत इकाई क्रियाशील किया हो।
10	गीडा अतंर्गत भूमि के अधिग्रहण /क्रय से प्रभावितों हेतु	10 %	गीडा द्वारा भूमि अधिग्रहण/क्रय से सम्बन्धित साक्ष्य आवेदक को प्रस्तुत करना होगा।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत उपरोक्त क्रमांक 4, 5, 6 एवं 7 के अनुसार होरिजेन्टल आरक्षण एवं गीडा प्राधिकरण में पूर्व में आवासीय भूखण्डों के आवंटन में की गयी व्यवस्था के अनुसार क्रमांक 8, 9, एवं 10 के अनुसार होरिजेन्टल आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। उल्लेखनीय है कि आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों हेतु 02 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मे है।

नोट :–

(i) उपरोक्त में से क्रमांक 01 से 03 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें, ई–लॉटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 11 तक के आरक्षण, 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हारिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

(ii) गीडा की आवासीय योजना में पूर्व में आवास प्राप्त कर चुके व्यक्ति (पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे), इस आवासीय योजना हेतु अर्ह नहीं होंगे। (आवास एवं नगर विकास, आवास अनुभाग–1 का शासनादेश संख्या–39/37–1–93 दिनांक 06.01.1992)

4. आवासीय भूखण्डों की आवंटन प्रक्रिया :–

(i) भूखण्डों का आवंटन विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् ऑन लाईन आवेदन प्राप्त करके ई–लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

(ii) निर्धारित पंजीकरण धनराशि आनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करना होगा।

(iii) इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है।

(iv) एक ही पंजीकरण धनराशि से एक श्रेणी में विभिन्न भूखण्डों को पाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। एक व्यक्ति/परिवार विभिन्न श्रेणी के भूखण्डो हेतु पृथक–पृथक पंजीकरण शुल्क जमा कर के आवेदन/पंजीकरण कर सकता है लेकिन प्रथम भूखण्ड आवंटित होते ही बाकी के श्रेणी के भूखण्डों में प्रतिभाग किया जाना निषेध होगा। एक ही श्रेणी में एक व्यक्ति/परिवार द्वारा एक से अधिक पंजीकरण मान्य नहीं होगें।

(v) ई–लॉटरी में सफल आवेदकों के पक्ष में भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा।

(vi) भूखण्डों का आवंटन 90 वर्ष की लीज पर ई–लॉटरी में सफल आवेदक के पक्ष में किया जायेगा।

(vii) यदि आरक्षण वर्गीय कोटे से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो ऐसे आरक्षित भूखण्डों का आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेंदकों को कर दिया जायेगा।

(viii) इस योजना के अन्तर्गत 90 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर भूखण्ड आवंटित किये जायेंगें।

(ix) योजना में भूखण्डों के आवंटन से पूर्व इच्छुक आवेदक, यदि चाहे तो किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे पूर्वान्ह से 05 बजे अपरान्ह तक विक्रय हेतु उपलब्ध भूखण्डों के मानचित्र देखकर अपनी संतुष्टि कर सकता है।

5. आवंटन के लिए पात्रता :–

(i) प्राधिकरण के समस्त या आंशिक संख्या में भूखण्डों का निस्तारण ई–लाटरी द्वारा किया जायेगा जिसमें केवल पंजीकृत आवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि ही भाग ले सकेगें।

(ii) भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र पर प्रस्तुत करना होगा।

(iii) आवंटन हेतु आवेदन पत्र भेजते समय आवेदक की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है।

(iv) एक परिवार के एक ही सदस्य को भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा। एक परिवार में पति–पत्नी तथा अल्प वयस्क बच्चों को शामिल किया जायेगा।

(v) भूखण्ड आवंटन हेतु पति–पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से एक श्रेणी में एक ही आवदेन करना होगा।

नोट :

(i) भूखण्डों का आवंटन निर्धारित धनराशि जमा करने वाले आवदेकों के मध्य सार्वजनिक रूप से ई–लाटरी द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को ई–लाटरी की तिथि की सूचना समाचार पत्रो के माध्यम से दी जायेगीं। आवासीय भूखण्ड आवंटननार्थ लाटरी अलग–अलग श्रेणीवार निकाली जायेगीं।

(ii) केवल ई–लाटरी में किसी व्यक्ति के सफल होने की घोषणासे उसे भूखण्ड के आवंटन का अधिकार प्राप्त न होगा। आवंटन तभी बैध माना जायेगा तब वह आवंटन का पात्र हो और उसके द्वारा समस्त औपाचारिकतायें निर्धारित समय के अन्दर पूरी कर दी गयी हो तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हो।

(iii) आवंटी पर उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम–1976 के प्राविधान तथा उसके अन्तर्गत गठित नियम लागू माने जायेगें।

6. तथ्यों को छिपाना :–

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया जाता है तो उनके आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं अन्य कोई कार्यवाही (जो उचित समझे) कर सकते हैं।

7. औपचारिक आवंटन पत्र :–

(i) ई–लाटरी में सफल प्रत्येक आवंटी को समस्त अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् औपचारिक आवंटन पत्र भेजा जायेगा। आवंटी को आवंटन पत्र में दी गयी निर्धारित तिथि तक ***आवंटन धनराशि*** पंजीयन धनराशि के समायोजन के उपरान्त जमा करनी होगी।

(ii) आवंटी द्वारा आवंटन स्वीकार न किये जाने की दशा में उक्त भूखण्ड को आगामी योजना में ई–लाटरी द्वारा भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे।

8. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी :–

(i) चयन की लाटरी के पश्चात् असफल आवेदकों को एक माह के अन्दर एकाउन्ट पेई चेक द्वारा अथवा नेफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से पंजीकरण धनराशि आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में वापस की जायेगी। इस हेतु आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर आवेदक का बैंक का खाता संख्या एवं IFSC कोड अवश्य अंकित करना होगा।

(ii) भूखण्ड की ई–लाटरी के पश्चात् तथा आवंटन के पहले धनराशि वापस लेने पर 20 प्रतिशत (पंजीकरण/भूखण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि पर) कटौती करते हुये अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

9. अन्य बिन्दु :–

(i) आवंटन की प्रक्रिया अथवा आवंटित सम्पत्ति का कब्जा दिये जाने से सम्बन्धित अथवा अन्य किसी भी विषय पर यदि विवाद उत्पन्न होता है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

(ii) यदि कोई आवंटी आवासीय भूखण्ड का उपयोग आवास हेतु न करके किसी अन्य उपयोग में करता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) गीडा में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को भूखण्ड उपलब्ध कराने की बाध्यता गीडा की नहीं है। यदि किसी आवेदक को वांछित भूखण्ड नहीं मिल पाता है, तो वह इसके लिये गीडा से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(iv) विवरण पुस्तिका में उल्लिखित भूखण्ड के प्रस्तावित प्रीमियम का संशोधन अथवा वृद्धि का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को होगा। इस बारे में आवंटी को गीडा द्वारा भेजे गये पत्र या समाचार पत्रों में विज्ञापित सूचना पर्याप्त मानी जायेगी।

(v) ऊपर वर्णित नियम/शर्तो को किसी भी समय मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

आवासीय योजना (सेक्टर– 11 एवं 23) में अवशेष भूखण्ड

शपथ पत्र का प्रारूप

(रूपया 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

समक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

मैं श्री/श्रीमती/कु. ....पिता/पति का नाम श्री...

निवासी..आयु.......... वर्ष ....व्यवसाय...

शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ :–

1. मै/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम आवासीय योजना सेक्टर–11 एवं 23 में अवशेष भूखण्डों के अन्तर्गत प्रस्तावित भूखण्ड के आवेदन तथा तत्सम्बन्धी भूमि पट्टे पर लेने के लिए यह शपथ पत्र प्रेषित कर रहा हूं/रही हूं।
3. मैं/हम बालिग हूं तथा मेरी आयु 21 वर्ष से अधिक है।
4. मैं/प्रार्थना–पत्र केवल अपने लिये ही दे रहा/रही हूं और इसमें किसी प्रकार को बेनामी अधिकार शामिल नहीं है।
5. मुझे गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित आकार का भूखण्ड देने की सभी शर्ते व नियम मान्य है।
6. मैं/हम यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मेरे/मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कोई भूखण्ड/भवन पहले से आवंटित नहीं है।
7. मैं/हम यह भी स्वीकार करता/करती हूं कि भूखण्ड का रख–रखाव तथा उसे सुन्दर व स्वच्छ हालत में रखने की जिम्मेदीरी मेरी होगी और मैं ही भूखण्ड/भवन के सम्पत्ति कर अथवा अन्य जो भी कर देय होंगे, उनको देने का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। मैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा द्वारा समय–समय पर दिये गये सभी निर्देशों का पालन करता रहूंगा/रहूंगी।
8. मैं/हम यह भी स्वीकार करता/करती हूं कि भूखण्ड में कोई अन्य निर्माण कार्य अथवा परिवर्तन गीडा की आज्ञा के बिना नही करूंगा/करूंगी और न ही आवासीय उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊँगा/लाऊँगी।
9. यदि गीडा द्वारा अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में कोई अन्य शुल्क लगाया जाता है तो मैं उसे समय से भुगतान करूँगा/करूँगी।
10. यदि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित उक्त भूखण्ड का कब्जा मैं न लूं अथवा निर्धारित समय के अन्तर्गत माँगा गया रूपया न जमा करूँ अथवा भूमि की रजिस्ट्री न कराऊ तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूं तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को प्रधिकरण नियमानुसार धन

राशि जब्त करने भूखण्ड का आवंटन रद्द करने तथा भूखण्ड पर पुनः कब्जा कर लेने का पूरा अधिकार होगा।

11. यदि भूमि अर्जन/क्रय के प्रतिकर के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसके निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा/करूँगी/करेगे।

12. मैंने पंजीकरण पुस्तिका के सभी नियम/शर्ते भली भांति पढ़ एवं समझ लिये हैं तथा मैं इससे सहमत हूँ। ऊपर मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है और उपरोक्त शपथपत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण प्रासंगिक बात छिपाई हो, तो अन्य अधिकारों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को पूरा अधिकार होगा कि पंजीकरण/आवंटन अनुबन्ध रद्द कर दे व भूखण्ड पर से पुनः कब्जा वापस ले लें और इस सम्बन्ध में मेरे/हमारे द्वारा जमा धनराशि को जब्त कर लें तथा मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें करें, उसमें मुझे/हमें कोई आपत्ति न होगी।

आवेदक–1

आवेदक के हस्ताक्षर ....

आवेदक का पूरा नाम ....

व पूरा पता ....

आवेदक–2

आवेदक के हस्ताक्षर ....

आवेदक का पूरा नाम ....

व पूरा पता ....

स्थान :

दिनांकः

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (U.P. RERA)
Naveen Bhawan, Rajya Niyojan Sansthan, Kala Kankar House Old Hyderabad, Lucknow - 226007
www.up-rera.in

FORM C

REGISTRATION CERTIFICATE OF PROJECT

[The Uttar Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2016 – See Rule 6(1)]

This registration is granted under Section 5 of the Act to the following project under Project Registration Number-UPRERAPRJ281199/09/2024

Project Name :	Sector-11 Residential Scheme
Project Address :	Sector-11, Near Zero Point Kalesar, GIDA, Gorakhpur
Village/Locality/Sector :	Zero Point, Kalesar
Tehsil :	Sahjanwa
District/State :	Gorakhpur/Uttar Pradesh
Proposed Completion Date :	19-08-2029

Promoter Name & Address:

1. GORAKHPUR INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY firm / society / company / competent authority having its registered office / principal place of business at Sector-7, GIDA, Gorakhpur-273212

1. This registration is granted subject to the following conditions, namely: -

i. The promoter shall enter into an agreement for sale with the allottees in the model form as prescribed by the Government; in Annexure 'A'
ii. The promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the allottee or the association of the allottees, as the case may be, of the apartment, plot or building, as the case may be, or the common areas as per Section 17;
iii. The promoter shall deposit seventy percent. of the amounts realised by the promoter from the allottees and all the money raised by way of project finance, in a separate account to be maintained in a schedule bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per sub-clause (D) of clause (l) of sub-section (2) of Section 4;
iv. The registration shall be valid for a period of 4 Year 11 Month 25 Days commencing from 14-09-2024 and ending with 19-08-2029 unless extended by the Authority in accordance with Section 6 read with rule 7 of the rules;
v. The promoter shall comply with the provisions of the Act and the rules and the regulations made thereunder.
vi. The promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force in the area where project is being developed.

2. If the above-mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the regulatory authority may take necessary action against the promoter including revoking the registration granted herein, as per the Act and the rules and regulations made thereunder.

3. The QR code given on this certificate should be included by the promoter in all advertisements across different platforms such as print, electronic, and social media along with the RERA registration number of the project, the Authority's website address and project collection account number. Additionally, it should also be printed in brochures, application forms, allotment letters, and BBAs etc.

4. Promoter must display the RERA registration certificate (Form-C) of the project in a photo frame of preferably A3 size (11.69 x 16.54 inches) but not less than to A4 size (8.27 x 11.69 inches) at their head office, site office, and project site.

5. Promoter has to comply with the provisions of IS Codes issued by Bureau of Indian Standards for electric safety as well as the provisions of Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC).

Dated: 14-09-2024

Place: Lucknow

PRAMOD KUMAR UPADHYAY
Digitally signed by PRAMOD KUMAR UPADHYAY
Date: 2024.09.14 13:00:52 +05'30'

Signature and seal of the Secretary/Authorized Officer
Real Estate Regulatory Authority